न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 10 / 2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मोडाराम पुत्र अचलाराम 2. चैनाराम पुत्र गोकूलराम 3. बुधाराम पुत्र गोकूलराम 4. सोनाराम पुत्र श्रीराम उर्फ शिवराम 5. सुमेर पुत्र हरीराम 6. हिरादेवी पत्नी जस्साराम 7. राणाराम पुत्र जस्साराम 8. बाबूलाल पुत्र जस्साराम 9. गणेश पुत्र जस्साराम 10. बंशी सारण पुत्र जस्साराम जातियान–जाट निवासी– ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर।		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी जिला जोधपुर। 2. उपखण्ड अधिकारी, लूणी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आदेश जो उपखण्ड अधिकारी, लूणी,जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 412 में दिनांक 30.06.2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2–श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1,2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13 फरवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सालावास तहसील लूणी के ख0सं0 70 रकबा 69 बीघा 09 बिस्वा भूमि अपीलान्टस व अपीलान्टस के सहखातेदारान की कब्जाकाश्त की कृषि भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टस की उक्त खसरान रकबा भूमि में से 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि की खातेदारी समाप्त करते हुए गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है क्योंकि अपीलान्टस व उनके सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि वह खसरा संख्या 70 के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। विधि के सिद्धान्त अनुसार किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार व हितबद्ध काश्तकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता घोषित/ दर्ज करने का आदेश पारित करें। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए में

रास्ता देने के लिये प्रावधान बने हुए है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस की खातेदारी भूमि में से किसी पडौसी खातेदार काश्तकार के द्वारा रास्ते की मांग नहीं की गई है। यदि किसी पडौसी खातेदारान के द्वारा रास्ते की मांग की जाती है तो राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस व अन्य सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि मौके पर कोई रास्ता विध्यमान नहीं है और न ही चल रहा है। केवल मात्र राजनैतिक दबाव में आकर गरीब खातेदार काश्तकार को तंग व परेशान करने की नियत से सम्पूर्ण कार्यवाही अमल में लाई गई है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.2018 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के ग्राम पंचायत कैम्प कोर्ट के समक्ष पटवारी हल्का व तहसीलदार लूणी की ओर से दिनांक 4.5.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लूणी के विभिन्न राजकीय/ निजी खसरान भूमि में स्थाई रूप से चालू परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, सार्वजनिक रास्ते की भूमि जो मौके पर ग्रेवल सडक के रूप में चल रही है को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2018 के द्वारा उपरोक्त रास्ते के उपयोग में आ रही खसरान की रकबा भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, जो बहाल रखे जाने योग्य है अतः उक्त अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 30.06.2018 का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि उक्त अपील में उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा प्रकरण संख्या 412 में दिनांक 30.6.2018 को राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रास्ता सम्बन्धी आदेश पारित किये गये है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत पारित आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में की जानी चाहिये। ऐसे मे सक्षम क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर प्रकरण इस न्यायालय से खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में अपील करने के लिये स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक 13 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर